रजिस्ट्रेड सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12, 1976/ज्येष्ठ 22, 1898

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12, 1976/JYAISTHA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1976

सा०का०नि० 812.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'केरल' के अधीन :—

1. "पुलिस अधीक्षक, एक्स ब्रांच सतर्कता प्रभाग-2
2. पुलिस अधीक्षक, सतर्कता-1"

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

1. "पुलिस अधीक्षक, सतर्कता-3"

[संख्या 11052/5/76-अ०भा०से० (II)ए]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 18th May, 1976

G.S.R. 812.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the

Government of Kerala hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) 5th Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 under 'KERALA' for the entries :—

1. "Superintendent of Police, X Branch, Vigilance Division—2.

2. Superintendent of Police, Vigilance—1".

the following entry shall be substituted, namely :—

1. "Superintendent of Police, Vigilance—3".

[No. 11052/5/76-AIS(II)-A]

सा०का०नि० 813.—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची III में,—

"राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतः वेतनमान वाले पद जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतनों वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के अधीन "केरल" के आगे, पहले कालम में दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों में से निम्नलिखित प्रविष्टि हटा दिया जाएगा :—

"पुलिस अधीक्षक, एक्स ब्रांच सतर्कता प्रभाग ।"

[संख्या 11052/5/76-अ०भा०से० (II)ख]

G.S.R. 813.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale," under "Kerala", the following entry shall be deleted :—

"Superintendent of Police, X-Branch, Vigilance Division".

[No. 11052/5/76-AIS(II)-B]

नई दिल्ली, 21 मई, 1976

सा०का०नि० 814.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छटवां संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये 22 सितम्बर, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 से उपाबद्ध अनुसूची III में "क—राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन सारणी में स्तम्भ एक में आई हुई प्रविष्टि "पंजाब" और दूसरे तथा तीसरे स्तम्भों में की तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

राज्य	पद की विशिष्टियां	वेतन
"पंजाब	निदेशक, सतर्कता ब्यूरो	2000-125/2-2250"

[संख्या 14021/6/75-ए० आई० एस० (II) ए]

New Delhi, the 21st May, 1976

G.S.R. 814.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of Punjab, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 22nd September, 1973.

2. In Schedule III, appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A-Posts carrying pay above the time-sale pay in the Indian Police Service under the State Governments", in the Table, for the entry, Punjab, occuring in the first column and the corresponding entries in the second and the third columns, the following shall be substituted, namely :—

State	Particulars of the post	Pay
"Punjab	Director, Vigilance Bureau	2000-125/2-2250

EXPLANATORY MEMORANDUM

The above mentioned post has been created with effect from 22nd September, 1973. In view of the recommendations of the Third Pay Commission, the Government of India have revised the pay scale of the posts in the pay scale of Rs. 1600-100-2000 to Rs. 2000-125/2-2250 with effect from 1st January, 1973. Since the above mentioned post has been created after 1st January, 1973 in the pay scale of Rs. 1600-100-2000, the Government of India have decided to revise the pay scale to Rs. 2000-125/2-2250 with effect from the date on which the post was created. It is certified that no officer is likely to be adversely affected by this notification being given retrospective effect.

[No 14021/6/75-AIS(II)-A]

सा०का०नि० 815.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने

के पश्चात्, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस (सेवा) वेतन सातवां संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये 3 नवम्बर, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 से उपाबद्ध अनुसूची III में "क—राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के नीचे, सारणी में, स्तम्भ एक में आई हुई प्रविष्टि मणिपुर और त्रिपुरा तथा दूसरे और तीसरे स्तम्भों में की तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

राज्य	पद की विशिष्टियां	वेतन
मणिपुर	पुलिस उप महानिरीक्षक सक्रिया और सशस्त्र पुलिस	2000-125/2-2250
त्रिपुरा	पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय)	2000-125/2-2250

[संख्या 14021/6/75-ए०आई० एस० (II) बी]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव

G.S.R. 815.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 3rd November, 1973.

2. In Schedule III, appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Police Service under the State Governments", in the Table, for the entry, Manipur and Tripura, occuring in the first column and the corresponding entries in the second and the third columns, the following shall be substituted, namely :—

State	Particulars of the Post	Pay
Manipur	Deputy Inspector General of Police Operation and Armed Police	2000-125/2-2250
Tripura	Deputy Inspector General of Police (Head Quarters)	2000-125/2-2250

EXPLANATORY MEMORANDUM

The above mentioned posts have been created with effect from 3rd November, 1973. In view of the recommendations of the Third Pay Commission the Government of India have revised the pay scale of the posts in the pay scale of Rs. 1600-100-2000 to Rs. 2000-125/2-2250 with effect from 1st January, 1973. Since the above mentioned posts have been created after 1st January, 1973 in the pay scale of Rs. 1600-100-2000, the Government of India have decided to revise their pay scales to Rs. 2000-125/2-2250 with effect from the date on which they were created.

(No officer is likely to be adversely affected by this Notification being given the retrospective effect).

[No. 14021/6/75-AIS(II).B]

A. K. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

सा०का०नि० 816.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में सर्वत्र जहां भी "चयन श्रेणी", "श्रेणी I" "श्रेणी II" और श्रेणी III" शब्द आए हैं के स्थान पर क्रमशः "श्रेणी क", "श्रेणी ख", "श्रेणी ग" और "श्रेणी घ" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"20 वेतनमान—सेवा की श्रेणी क, ख, ग और घ के वेतनमान निम्नलिखित रूप में होंगे—

(1) श्रेणी क—650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०

टिप्पण—सेवा की श्रेणी ख के किसी अधिकारी को, जिसे सेवा की श्रेणी क में प्रोन्नति दी गई है, इस वेतनमान में 775 रु० का न्यूनतम आरंभिक वेतन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) श्रेणी ख—650-30-740-35-880 द० रो०-40-1040 रु०

टिप्पण :—सेवा की श्रेणी ग के किसी अधिकारी को, जिसे सेवा की श्रेणी ख में प्रोन्नति दी गई है, इस वेतनमान में 710 रु० का न्यूनतम आरंभिक वेतन अनुज्ञात होगा ।

(3) श्रेणी ग—425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द० रो० 25-800 रु०

(4) श्रेणी घ—330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु० :

परन्तु 1 जनवरी, 1973 से पूर्व किसी श्रेणी में नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अनुसरण में उन्हें अनुज्ञात वेतन में वेतनमान पाने के हकदार होंगे" ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के वेतनमानों तथा पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार जारी किया जा रहा है । इन नियमों को तदनुसार पहली जनवरी 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । संशोधन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 12/10/75-सी० एस० 2(1)]

New Delhi, the 28th May, 1976

G.S.R. 816. In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. Throughout the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules)— expressions "Selection Grade", "Grade I", "Grade II" and "Grade III", wherever they occur, the expressions "Grade A", "Grade B", "Grade C" and "Grade D" shall respectively be substituted.

3. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely :—

"20. Scale of pay.—The scales of pay attached to Grades A, B, C and D of the Service shall be as follows :

(1) Grade A-Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.

Note :—An Officer of Grade B of the Service promoted to Grade A of the Service shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 775 in this scale.

(2) Grade B-Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-1040.

Note :—An Officer of Grade C of the Service promoted to Grade B of the Service shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710 in this scale.

(3) Grade C-Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

(4) Grade D-Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

Provided that officers appointed to any Grade before the 1st day of January, 1973, shall be entitled to draw pay in the scale of pay admissible to them in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service (Second Amendment) Rules, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decisions on the recommendations of the Third Pay Commission on the pay scales and designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly, the rules are being given retrospective effect from the 1st of January, 1973. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment rules.

[No. 12/10/75-CSII(i)]

सा०का०नि० 817.—केन्द्रीय सरकार का मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 की पांचवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 के विनियम 2 में "श्रेणी-II" शब्द के स्थान पर जहां भी वे आए हैं "श्रेणी-ग" शब्द रखा जाएगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976, को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार जारी किया जा रहा है । इन विनियमों को तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या 12/10/75-सी एम II (ii)]

G.S.R. 817.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fifth Schedule to the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Competitive Examination) Regulations, 1969 namely:

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In regulation 2 of the Central Secretariat Stenographers' Service (Competitive Examination) Regulations, 1969, for the expression "Grade II" wherever it occurs, the expression "Grade C" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service (Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly, the regulations are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations

[No. 12/10/75-CSII(ii)

सा०का०नि० 818.—केन्द्रीय सरकार का मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 24 और पांचवी अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी II सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी-ग विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी II सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में "श्रेणी-II" और "श्रेणी-III" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आए हैं, "श्रेणी ग" और "श्रेणी-घ" शब्द रखे जायेंगे ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी ग विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली

जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार जारी किया जा रहा है। इन विनियमों को तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 12/10/75-सी०एस० II(iii)]

G.S.R. 818.—In pursuance of the provisions of rule 24 and sub-paragraph (2 of paragraph 2 of the Fifth Schedule to the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Grade C Limited Departmental Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. Throughout the Central Secretariat Stenographers' Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1971, for the expressions "Grade II" and "Grade III" wherever they occur the expressions "Grade C" and "Grade D" shall respectively be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service (Grade C Limited Departmental Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly, the regulations are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will be prejudically affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No. 12/10/75-CSII(iii)]

सा० का० नि० 819.—केन्द्रीय सरकार का मंत्रिमण्डल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 1969 की धारा 19 व उपधारा (7) के साथ पठित धारा 24 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) विनियम, 1971 में संशोधन करने के के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) विनियम, 1971 में "चयन श्रेणी, श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आए है "क्रमशः श्रेणी-क", "श्रेणी-ख", श्रेणी-ग" और "श्रेणी -घ" शब्द रखे जाएंगे ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) संशोधन विनियम, 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार जारी किया जा रहा है । इन विनियमों को तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या 12/10/75 सी० एस० II(iv)]

G.S.R. 819.—In pursuance of rule 24, read with sub-rule (7) of rule 19 of the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2 Throughout the Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) Regulations, 1971, for the expressions "Selection Grade", "Grade I", "Grade II" and "Grade III" wherever they occur, the expressions "Grade A", "Grade B", "Grade C" and "Grade D" shall respectively be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly the regulations are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will be prejudically affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No. 12/10/75-CSII(iv)]

सा० का० नि० 820.—केन्द्रीय सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 2 के खण्ड (अज) के साथ पठित नियम 24 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सामान्य ज्येष्ठता सूची तैयार करना) विनियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सामान्य ज्येष्ठता सूची तैयार करना) संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सामान्य ज्येष्ठता सूची तैयार करना) विनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में "श्रेणी-II" और "श्रेणी III" शब्दों और अंकों के स्थान पर "श्रेणी-ख और ग" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम (1) में "श्रेणी, I II और III" शब्दों और अंको के स्थान पर "श्रेणी ख, ग, और घ" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

4 उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम (3) में जहां कहीं भी "श्रेणी-I" "श्रेणी-II" और "श्रेणी-III" शब्द आए हों उनके स्थान पर क्रमशः "श्रेणी ख" "श्रेणी ग" और "श्रेणी-घ" शब्द रखे जायेंगे ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सामान्य ज्येष्ठता सूची तैयार करना) संशोधन विनियम, 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार जारी किया जा रहा है। इन विनियमों का तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। संशोधन विनियमों का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या 12/10/75-सी०एस०-II(v)]

G.S.R. 820.—In pursuance of rule 24, read with clause (hh) of rule 2 of the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Preparation of Common Seniority Lists) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Preparation of Common Seniority Lists) Amendment Regulations, 1976

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In regulation 2 of the Central Secretariat Stenographers' Service (Preparation of Common Seniority Lists) Regulations, 1971 (hereinafter referred to as the said regulations), for the words and figures "Grades II and III" the words and letters "Grades B and C" shall be substituted

3. In sub-regulation (1) of regulation 3 of the said regulations, for the words and figures "Grades I, II and III" the words and letters "Grades B, C and D" shall be substituted.

4. In sub-regulations (3) of regulation 3 of the said regulations, for expressions "Grade I", Grade II" and "Grade III" wherever they occur, expressions "Grade B", "Grade C" and "Grade D" shall respectively be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service (Preparation of Common Seniority Lists) Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly the regulations are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will be prejudically affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No. 12/10/75-CS-II(v)]

सा०का०नि० 821.—केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 की छठी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी-I (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी-ख (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये 23 फरवरी, 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी-I (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 में "श्रेणी-I" और "श्रेणी-II" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आए हैं, "श्रेणी-क" और "श्रेणी-ख" शब्द रखे जायेंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ख (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसरण में जारी किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-I (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 भारत के राजपत्र में 1974 को सा०का० विनियम 197 के अधीन 23 फरवरी, 1974 को प्रकाशित किए गए थे। चूंकि उपर्युक्त विनियम 23 फरवरी, 1974 से लागू हुए थे इसलिए इन विनियमों को 23 फरवरी, 1975 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या 12/10/75-सी०एस०-II(vi)]

G.S.R. 821.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Sixth Schedule to the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Government of India in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service Grade I (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1974, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade B (Limited Departmental Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 23rd February, 1974.

2. Throughout the Central Secretariat Stenographers' Service Grade I (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1974, for the expressions "Grade I" and "Grade II", wherever they occur, the expressions "Grade B" and "Grade C" shall respectively be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service Grade B (Limited Departmental Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect from the 1st January, 1973. The Central Secretariat Stenographers' Service Grade I (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1974, were published in the Gazette of India on the 23rd February, 1974 vide G.S.R. 197 of 1974. As the above-mentioned Regulations came into force from the 23rd February, 1974, the regulations are being given retrospective effect from the 23rd February, 1974 The interests of no one will be prjudically affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No 12/10/75-CS-II(vi)]

सा०का०नि० 822.—केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी I और चयन श्रेणी में प्रोन्नति) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी I और चयन श्रेणी में प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी I और चयन श्रेणी में प्रोन्नति) विनियम, 1964 में विनियम 5 के भाग क में जिसका सम्बन्ध श्रेणी I से है "चयन श्रेणी" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सम्बन्ध में आए हैं "श्रेणी क" शब्द रखा जाएगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी I और चयन श्रेणी में पदोन्नति) संशोधन/विनियम 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों, जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में जारी किया जा रहा है। इन विनियमों का तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव में जारी करने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या 12/10/75-सी०एस० II(vii)]

G.S.R. 822.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulatitons, 1964, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service (*Promotion to Grade I and Selection Grade*) Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, in Part A of regulation 5 relating to Grade I, for the expression "Selection Grade" wherever it occurs in relation to the Central Secretariat Stenographers' Service, the expression "Grade A" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly, the Regultions are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will, be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No. 12/10/75-CS II(vii)]

सा०का०नि० 823.—केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 को चतुर्थ अनुसूची के पैरा 2 के उपपैरा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी को श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोग्यता परीक्षा) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1(1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी को श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) तृतीय संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये 4 जनवरी, 1975 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी का श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1964 में "श्रेणी II" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आया है, "श्रेणी ग" शब्द रखे जायेंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी को श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (तृतीय संशोधन), विनियम 1976 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में जारी किया जा रहा है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी को श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1964 का 1975 के सा०का०नि० संख्या 1 द्वारा संशोधित करके के०स०आ०से० के अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) में बैठने का पात्र बनाया गया था। चूंकि उपर्युक्त संशोधन विनियम 4 जनवरी, 1975 को लागू हुए इस लिए इन विनियमों को 4 जनवरी 1975 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 12/10/75-सी०एस० II(viii)]

G.S.R. 823.—In pursuance of the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fourth Schedule to the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Exmaniation) Regulations, 1964, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Third Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the fourth day of January, 1975.

(2) Throughout the Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1964, for the expression "Grade II", wherever it occurs, the expression "Grade C" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretarait Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Third Amendment Regulations, 1976, are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Officers of the Central Secretariat Stenographers' Service were made eligible to appear in the Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limtied Departmental Competitive Examination) by amending Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1964 vide G.S.R. No. 1 of 1975. As the above mentioned amending regulations came into force from the 4th January, 1975, the Regulations are being given retrospective effect from the 4th January, 1975. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No. 12/10/75-CS II(viii)]

सा० का० नि० 824.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा तृतीय संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 10 के परन्तुक और नियम 12 के उपनियम (2) में "चयन श्रेणी" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हों, "श्रेणी क" शब्द रखे जाएंगे ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों, जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में लागू किया जा रहा है । इन नियमों को तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । संशोधन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या 12/10/75-सीएस II (ix)]

G.S.R. 824.—In pursuance of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 1962, in the proviso to rule 10 and in sub-rule (2) of rule 12, for the words "Selection Grade" wherever it occurs, the expression "Grade A" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Service (Third Amendment) Rules, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades of the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly, the rules are being given retrospective effect from th 1st January, '73. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment rules.

[No. 12/10/75-CSII(ix)]

सा० का० नि० 825.—केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 की धारा 14 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी-III (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी घ (प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी-III (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 के विनियम 2 के खंड (ग) में "श्रेणी III" शब्द के स्थान पर "श्रेणी घ" शब्द रखा जाएगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'घ' (प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों, जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के अनुसार लागू किया जा रहा है । इन विनियमों को तदनुसार पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या 12/10/75-सी०एस०-II(x)]

G.S.R. 825. *In pursuance of sub-rule (4) of rule 14 of* the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade III (Competitive Examination) Regulations, 1969, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service Grade D (Competitive Examination) Second Amendment Regulations 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In clause (a) of regulation 2 of the Central Secretariat Stenographers Grade III (Competitive Examination) Regulations, 1969, for the expression "Grade III" the expression "Grade D" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers' Service Grade D (Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades in the Central Secretariat Stenographers' Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly, the regulations are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

[No. 12/10/75-CSII(x)]

सा० का० नि० 826.—केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 24 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी-III विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी घ विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी-III विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में "श्रेणी-III" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आए हैं, "श्रेणी-घ" शब्द रखे जाएंगे ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड-'घ' विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1976 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदनामों जिन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया गया है, पर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। उक्त विनियमों के तदनुसार, पहली जनवरी, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। संशोधन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या 12/10/75-सी०एस०-II(xi)]

के० एल० रामचन्द्रन, उप-सचिव

G.S.R. 826.—In pursuance of rule 24 of the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographrs Service (Grade III—Special Competitive Examination) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Grade D—Special Competitive Examination (Second Amendment) Regulations, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In the Central Secretariat Stenographers Service (Grade III—Special Competitive Examination) Regulations, 1969, for the expression "Grade III" wherever it occurs the expression "Grade D" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Secretariat Stenographers Service (Grade D—Special Competitive Examination) Second Amendment Regulations, 1976 are being issued in pursuance of the Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission on the designations of the various grades in the Central Secretariat Stenographers Service which have been given effect to from the 1st January, 1973. Accordingly the regulations are being given retrospective effect from the 1st January, 1973. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment to the regulations.

[No. 12/10/75-CS II(xi)]

K. L. RAMACHANDRAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1976

सा० का० नि० 827.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्.—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये संशोधन भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन नियम, 1954 की अनुसूची-III में "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पद, जिसमें समय, वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं "शीर्षक के अन्तर्गत खंड (2) के परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

[संख्या-14021/3/76-अ०भा०से०(II)]

बी० एल० मथारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 29th May, 1976

G.S.R. 827.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—.

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Ninth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "B-posts carrying pay in the senior time scale of the Indian Police Service under the States Government including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale", in caluse (2), the proviso shall be omitted.

[No. 14021/3/76-AIS(II)]

P. L. MATHURIA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th May, 1976

G.S.R. 828.—In the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 23/38/76-Judl. Published in the Gazette of India Part II, section 3(i) dated the 24th April, 1976 at page 1084 as GSR 577 for the words "of suction (1)" appearing in 2nd line, substitute the words "of sub-section (1)".

[F. 23/38/76-Judl.]

P. K. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

सतर्कता अनुभाग

नई दिल्ली, 26 मई, 1976

सा० का० नि० 829.—केन्द्रीय सरकार, विभागीय जांच (हाजिरों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत आयुक्त, नागपुर को जो राष्ट्रीय बचत संगठन के व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी है उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 12(22)विजि०/75]

ओ० पी० कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Vigilance Section

New Delhi, the 28th May, 1976

G.S.R. 829.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby specifies the National Savings Commissioner, Nagpur being the appointing authority in relation to the persons of the National Savings Organisation, as the authority to exercise the power conferred on the Central Government by sub-section (1) of section 4 of the said Act.

[No. 12(22)Vig/75]

O. P. KOHLI, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1976

सा०का०नि० 830—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में सहायक-निदेशक (सहकारिता) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिक पूर्ति और सहकारिता सहायक निदेशक (सहकारिता) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के प्रत्याशियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (सहकारिता)	4	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300 रु०	चयन	40 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले आवेदकों (उन आवेदकों से भिन्न जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में रहते हैं) से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर की उपाधि या समतुल्य । (2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों या किसी प्रतिष्ठित स्वशासी निकाय/निगम के अधीन सहकारिता कार्य का 5 वर्षों का अनुभव । (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं विशेषतः अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी/किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित हो); चयन सीधे लोक सेवा आयोग के परामर्श से होगा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)/स्थानान्तरण द्वारा चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारिता परिसंघ में समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी या 650-1200रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 3 वर्ष कार्य करने वाले अधिकारी या जिन्हें सहकारिता कार्य का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों के समरूप पद धारण करने वाले या 650-1200 रु० के वेतनमान के पदों पर न्यूनतम तीन वर्ष नियमित सेवा करने वाले अधिकारी या समतुल्य और जिनके पास सहकारी कार्य में अनुभव हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति। (1) संघलोक सेवा आयोग का एक सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रशासन का भारसाधक संयुक्त सचिव या उप सचिव निदेशक की पंक्ति का या उससे ऊपर का सम्बद्ध तकनीकी अधिकारी—सदस्य (3) प्रशासन का भारसाधक उप सचिव या निदेशक सदस्य।	स्तंभ 10 के उपबंधों के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथाअपेक्षित।

[सं० ए. 12011/14/71-स्थापना]

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

New Delhi, the 18th May, 1976

G. S. R. 830.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Cooperation) in the Department of Civil Supplies and Cooperation under the Ministry of Industry and Civil Supplies, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Civil Supplies and Cooperation [Assistant Director (Cooperation)] Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay : The number of the said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification: No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Cental Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Cooperation)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (Cooperation)	4	General Central Services Group 'A' Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)	Essential: (i) Master's Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience of cooperation work under the Central / State Governments or in an autonomous body/corporation of standing. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified, in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes).

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitmant or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	40% by promotion, failing which by transfer on deputation (including short term contract), selection being made in consultation with the Union public Service Commission and failing both by direct recruitment; and 60% by transfer on deputation (including short-term contract)/, transfer selection being made in consultation with the Union Public Service Commission failing which by direct recruitment.	Promotion: Senior Technical Assistants with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments, Reserve Bank of India, National Cooperative Development Corporation, National Cooperative Federations holding, analogous posts or with at least 3 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and possessing experience in cooperation work. Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years). Transfer: Officers of the Central/State Governments holding analogous posts or with at least 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and possessing experience in cooperation work.	Group 'A' Departmental Promotion Committee. (1) A Member of the Union Public Service Commission—Chairman (2) Joint Secretary Incharge of Administration of Technical Officer concerned of the rank of Deputy Secy./ Director or above Member. (3) Deputy Secretary or Director Incharge of Administration—Member.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation 1958, read with the provision under column 10

[A. 12011 /14/71—Est.]

नई दिल्ली, 26 मई, 1976

सा०का०नि० 831—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में झाड़ूकश के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग (झाड़ूकश) भर्ती नियम 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) में झाड़ूकश के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
झाड़ूकश	चार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह—घ (अराजपत्रित)	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अनधिक	वांछनीय प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा/की जाएगी/किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० ए० 30012/5/75-(स्थापना)]

बी० एल० गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1976

G.S.R. 831.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Cnstitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sweeper in the Department of Civil Supplies and Cooperation under the Ministry of Industry and Civil Supplies, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Department of Civil Supplies and Cooperation (Sweeper) recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay:—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :—No person:,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Govrernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:— Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Sweeper in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Deptt. of Civil Supplies and Cooperation)

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Sweeper	Four	General Central Services Group D (Non-Gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Not exceeding 25 years.	Desirable:- A pass in the Primary School Standard.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer, grades from which promotion to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted while making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A 30012/5/75—Estt.)
B.L. GARG, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

आदेश

सा०का०नि० 832.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन (मार्गदर्शन) और अन्य सेवाएं (फीस) संशोधन आदेश, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम मद्रास पत्तन मार्गदर्शन और अन्य सेवाएं (फीस) संशोधन आदेश, 1976 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2 मद्रास पत्तन मार्गदर्शन और अन्य सेवाएं (फीस) संशोधन आदेश, 1975 की अनुसूची में,—

(क) मद सं० 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक जलयानों और अवाणिज्यिक विद्युत चालित बंदरगाह यानों, जैसे रक्षा सेवा, सीमाशुल्क, पुलिस और पत्तन स्वास्थ्य विभाग के लांच जो पत्तन संक्रियाओं से संबंधित अपने विभागीय उपभोग के लिए उक्त पत्तन में चल रहे हैं और स्थित हैं, से भिन्न ऐसे जलयान जो बंदरगाह यान नियम के अधीन मद्रास पत्तन के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है, निम्नलिखित का संदाय करेंगे—

(क) प्रतिदिन या उसके भाग के लिए अवाणिज्यिक बर्थ का अधिभोग करने के लिए यथास्थिति प्रति जलयान या यान, 50 रुपये की दर से बर्थ भाड़ा, और

(ख) किसी नियमित वाणिज्यिक बर्थ का अधिभोग करने के लिए इस अनुसूची की मद (1) के अधीन यथा प्रगणित यथास्थिति, जलयान या यान के एन आर टी के आधार पर विसर्पी मान दर पर,

(ग) लश जलयानों की लैश बार्जे, जो बंदरगाह में कहीं भी बर्थ में है (i) स्थोरा उतारने से पूर्व (ii) जब वे निर्यात स्थोरा से लदे हुए अपने मूल लैश जलयान के आने की या अन्यथा लैश जलयान द्वारा ले जाए जाने की प्रतीक्षा कर रही हों, बंदरगाह के भीतर अधिभोगाधीन बर्थ के लिए निम्नलिखित दरों पर बर्थ भाड़े का संदाय करेंगी—

(i) अवाणिज्यिक बर्थ के अधिभोग के लिए प्रतिदिन या उसके भाग के लिए प्रति लैश बार्ज 12.50 रुपये, और

(ii) किसी नियमित वाणिज्यिक बर्थ का अधिभोग करने के लिए, इस अनुसूची की मद (i) के अधीन तथा प्रगणित, जलयान या यान के एन आर टी के आधार पर विसर्पी मान दर पर",

(घ) मद सं० 8 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :—इस अनुसूची के अधीन बर्थ भाड़ा प्रभारों के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए :—

(i) "वाणिज्यिक बर्थ" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा घाट बर्थ या लंगरगाह बर्थ जहां स्थोरा उतारने या लादने के लिए वाणिज्यिक जलयानों को बर्थ में या लंगर में रखा जाता है,

(ii) "अवाणिज्यिक बर्थ" से ऐसे बर्थ अभिप्रेत है, जो ऐसे घाटों की और लंगरगाहों पर हों, जहां स्थोरा उतारने या लादने के लिए वाणिज्यिक जलयानों को बर्थ में या लंगर में ही रखा जाता है।"

[एफ० सं० पी जी आर 82/74)]
बी० आर० मेहता, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th May, 1976

G.S.R. 832.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following order to amend the Port of Madras Pilotage and other Services (Fees) Order, 1975, namely :—

(1) This order may be called the Port of Madras Pilotage and other Services (Fees) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Schedule to the Port of Madras Pilotage and Other Services (Fees) Order, 1975,—

(a) for Item No. 2, the following item shall be substituted, namely :—

"2(1) Vessels, which are not registered under the Harbour Craft Rules for the Port of Madras, other than the Merchant Vessels and the non-commercial powered harbour crafts belonging to the Central Government or a State Government such as the launches of the Defence Service, the Customs, the Police and the Port Health Department that are plying and stationed at the said Port for their Departmental use concerning the Port Operations, shall pay—

(a) berth hire charges at the rate of Rs. 50 for each day or part of a day per vessel or craft, as the case may be, for occupying a non-commercial berth, and

(b) at sliding scale rate on the basis of the NRT of the vessel or craft, as the case may be, as enumerated under Item (1) of this Schedule, for occupying a regular commercial berth.

(c) Lash Barges belonging to Lash vessels berthed anywhere within the harbour, (i) prior to discharge of cargo, (ii) when waiting to be loaded with export cargo, (iii) awaiting the arrival of the Mother Lash Vessel with loaded cargo or otherwise to be taken by the Lash Vessel, shall pay berth hire charges for the berth they occupy inside the Harbour as under :—

(i) at the rate of Rs. 12 50 for each day or part of a day per Lash Barge for occupying a non-commercial berth, and

(ii) at the sliding scale rate on the basis of the NRT of the Lash Barge as enumerated under Item No. 1 of this Schedule for occupying a regular commercial berth,";

(d) after Item No. 8, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of levy of berth hire charges under this Schedule,—

(i) "commercial berth" means a quay berth or mooring berth, where commercial vessels are berthed, moored for discharging or loading of cargoes;

(ii) "non-commercial berth" means the berth that are on the quay sides and moorings where commercial vessels are not berthed or moored for discharging or loading of cargoes."

[F. No. PGR-82/74]
V. R. MEHTA, Director.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1976

सा० का० नि० 833—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय (यांत्रिक सारणीयन शाखा) (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का नाम अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, (यांत्रिक सारणीयन शाखा) (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय (यांत्रिक सारणीयन शाखा) (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में तकनीकी सहायक (या०सा०) और तकनीकी लिपिक (या०सा०) दोनों के पदों के संबंध में—

(i) स्तम्भ 6, 7 और 8 नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --
"लागू नहीं होता ।"

(ii) स्तम्भ 10 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --
"प्रोन्नति द्वारा"

[संख्या 9-25/75-अर्थ नीति]
एम० वी० केशवन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 26th May, 1976

G.S.R. 833.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Economics and Statistics (Mechanical Tabulation Branch) (Class III posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1 (1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics, (Mechanical Tabulation Branch (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedules to the Directorate of Economics and Statistics (Mechanical Tabulation Branch) (Class III posts) Recruitment Rules, 1969, in respect of the posts of both Technical Assistant (MT) and Technical Clerk (MT),—

(i) under columns 6, 7 and 8, for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely :—
"Not applicable";

(ii) under column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"By promotion".

[No. 9-25/75-Econ. Pol]
M. V. KESAVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1976

सा० का० नि० 834.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में संयुक्त निदेशक (पशु पालन आंकड़े) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियोजित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।

अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का नाम कृषि विभाग संयुक्त निदेशक (पशु पालन आंकड़े) भर्ती नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों या पदों को बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (पशु पालन आंकड़े)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	रु० 1500-60-1800	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: केन्द्रीय सरकार के अधीन समरूप या सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी 2 के अधिकारी या उस सेवा के श्रेणी 3 के ऐसे अधिकारी जिनकी उस ग्रेड में कम से कम छ: वर्ष सेवा हो और जिनके पास अधिमानत: कृषि या पशुपालन से सम्बन्धित, सांख्यिकीय कार्य अन्वेषण या अनुसंधान में अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित

[सं० फा० 12018/7/73-स्थापना-5]

पो० उ० टामस, अवर सचिव

New Delhi, the 29th May, 1976

G.S.R. 834.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Animal Husbandry Statistics) in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Department of Agriculture Joint Director (Animal Husbandry Statistics) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, its classification and scale of pay: The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.: The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications : No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Seelection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director (Animal Husbandry Statistics)	One	General Central Service Group 'A'	Rs. 1500-60-1800	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is it composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation: Officers holding analogous or Comparable posts under the Central Government or Grade II officers of the Indian Statistical Service or Grade III Officers of that service with atleast six years in the grade and having experiecne in statistical work or investigation or research preferably connected with agriculture or animal husbandry. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A 12018 /7/73—EV]

P.U. THOMAS Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 27 मई, 1976

सा० का० नि० 835.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पर्यावरणी योजनाकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (पर्यावरणी योजनाकार) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं :--वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :-- इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग में पर्यावरणी योजनाकार के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
पर्यावरणी योजनाकार	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	2000-250/2-2500 रु०	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय) टिप्पणी :--आयु सीमा के अवधारण के लिये निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदनों की प्राप्ति के लिये अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञानों में से किसी एक में डाक्टर की उपाधि या इंजीनियरी, अधिमान्यतः पर्यावरणी इंजीनियरी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी शैक्षिक या अनुसंधान संगठन में अनुसंधान अध्यापन में 10 वर्ष का अनुभव और/या पर्यावरण क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ; विशेष रूप से अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है) वांछनीय : (i) योजना तकनीकों, विशेष रूप से परियोजना निरूपण का ज्ञान। (ii) पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं की योजना तैयार करने डिजाइन और निष्पादन का अनुभव।

होने वाली किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी/ या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा /की जायेगी/किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है), चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है): केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 1500-2000रु० वाले या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास प्रपत्र के स्तम्भ 7 में यथा दर्शित सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं हों । टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	स्तम्भ 10 के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[फा० सं० ए-12018/7/75 प्रशा० I]
एम० एल० मेहन्दिरत्ता, अवर सचिव, ।

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 27th May, 1976

G.S.R. 835—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Environmental Planner in the Department of Science and Technology, namely:—

1. Short title and commencement :— (1) These rules may be called the Department of Science and Technology (Environmental planner) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR the post of Environmental Planner in the Department of Science and Technology

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Environmental Planner	One	General Central Service Goup 'A' Gazetted.	Rs. 2000-125/2-2500	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants) Note :— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Doctorate Degree in one of the Natural sciences or Master's Degree in Engineering preferably Environmental Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) 10 years' experience in teaching research in an educational or research organisation and/or administrative experience in the field of environment. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified ; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Cas or Scheduled Tribes.) Desirable : (i) Knowledge of planning techniques in particular project appraisal. (ii) Experience in planning, design and execution of projects relating to environment.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment, failing which, by transfer on deputation (including short-term contract), selection to be made in consultation with the Union Public Service Commission.	Transfer on Deputation (including short-term contract): Officers holding analogous posts or with 3 years' service in the scale of pay of Rs. 1500-2000 or equivalent under the Central/State Government/ Universities/ Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications prescribed for direct recruits as shown in column 7 of the proforma. Note :—The period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 5 years.	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, read with column 10.

[F.No. A12018/7/75. Admn I

.L. [illegible]

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, 27 मई, 1976

सा० का० नि० 836.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, क्रम सं० 8 पर के सांख्यिक के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"8 सांख्यिक	5	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (जिसे पहले वर्ग 2 कहा जाता था) राजपत्रित)	650-30-740-35-810-ब० रो०-35-880-40-1000-ब० रो०-40-1200 ब०	चयन	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण :—आयुसीमा के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख आरंभ में के (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रों में हैं) अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी में, या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य में (जिसमें एक प्रश्नपत्र सांख्यिकी का रहा हो) मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि जिसमें गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी एक विषय रहा हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम 2 वर्ष के शिक्षण के पश्चात् दिया गया सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य। (ii) सांख्यिकी कार्य में, जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण विश्लेषण और निर्वचन आता हो, 3 वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं; विशेष रूप से अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है)	वांछनीय : मानव विज्ञान संबंधी आंकड़ों के सांख्यिकीय निरूपण का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हतायें : स्तम्भ 11 में उपवर्णित विस्तार तक	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति (i) ज्येष्ठ अन्वेषक, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो या नियमित आधार पर सांख्यिकी सहायक के रूप में नियुक्ति के पश्चात् ज्येष्ठ अन्वेषक और सांख्यिकी सहायक की श्रेणियों में, दोनों को मिला कर, कुल 8 वर्ष सेवा की हो, या (ii) सांख्यिकी सहायक; जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष सेवा की हो, और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की कम से कम ऐसी उपाधि, जिसमें एक विषय गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य रहा हो या समतुल्य हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति। संरचना :— 1. सचिव, संस्कृति विभाग अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग सदस्य 3 निदेशक, मानव विज्ञान सर्वेक्षण सदस्य 4 उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग सदस्य 5. अवर सचिव/सहायक शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग... सदस्य सचिव	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।"

[फा० सं० 9-61/74-सी ए आई (1)]
बलदेव महाजन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 27th May, 1976

G. S. R. 836.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Anthropological Survey of India (General Central Services Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967 for the posts of Statistician at serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"8. Statistician	5	General Central Service Group 'B'(formerly known as Class II) (Gazetted)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's degree in Statistics, or in Mathematics or Economics or Commerce (with Statistics as a paper) of a recognised University or equivalent. Or Degree of a recognised University or equivalent with Mathematics or Economics or Statistics as a subject and a recognised post-graduate diploma in Statistics awarded after at least 2 year's training in a recognised Institution or equivalent.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(ii) 3 years' experience in statistical work involving collection, analysis and interpretation of statistical data. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Desirable : Experience of statistical treatment of anthropological data.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualifications : to the extent indicated in Column 11	2 years	50% by promotion failing which by direct recruitment; and 50% by direct recruitment	Promotion : (i) Senior Investigator with 3 years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis or 8 years' total service in the grades of Senior Investigator and Statistical Assistant combined together after appointment as Statistical Assistant on a regular basis, and Statistical Assistant with 8 years' service in the grade, after appointment thereto on a regular basis. and possessing at least degree of a recognised University or equivalent with Mathematics or Statistics or Economics or Commerce as a subject.	Group 'B' Departmental Promotion Committee Composition : 1. Secretary of the Department of Culture—Chairman. 2. Joint Secretary/ Joint Educational Adviser, Department of Culture—Member 3. Director, Anthropological Survey of India—Member 4. Deputy Secretary/ Deputy Educational Adviser, Department of Culture—Member 5. Under Secretary/ Assistant Educational Adviser, Department of Culture—Member Secretary.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958)."

[File No. 9-61/74-CAI(I)]
BALDEV MAHAJAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1976

सा० का० नि० 837.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय में कनिष्ठ आशुलिपिक भर्ती नियम, 1972 में संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय (कनिष्ठ आशुलिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2 भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में कनिष्ठ आशुलिपिक भर्ती नियम, 1972—

(क) नियम 4 लुप्त हो जायेगा

(ख) नियम 5, 6 और 7 क्रमानुसार, 4, 5 और 6 हो जायेंगे।

[फाइल सं० 8/20/71-प्रशासन/आर० एन० आई०/यू०एस० (1)]

एस० रामास्वामी, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th May, 1976

G.S.R. 837.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar of Newspapers for India (Junior Stenographers) Recruitment Rules, 1972 namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar of Newspapers for India (Junior Stenographers) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Registrar of Newspapers for India (Junior Stenographers) Recruitment Rules, 1972,—

(a) rule 4 shall be omitted;

(b) rules 5, 6 and 7 shall be renumbered as 4, 5 and 6 respectively.

[F. No. 8/20/71-Admn. /RNI/US(I)]
S. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1976

सा० का० नि० 838.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिल्म सेंसर बोर्ड (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद भर्ती) नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम फिल्म सेंसर बोर्ड (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद भर्ती) संशोधन नियम, 1976 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (क) फिल्म सेंसर बोर्ड (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद भर्ती) नियम, 1962 में, विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

5. निरर्हतायें :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(ख) फिल्म सैंसर बोर्ड (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद भर्ती) नियम, 1962 की अनुसूची में—

(i). क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
4क	अध्यक्ष का निजी सहायक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अनुसचिवीय अराजपत्रित	550-20-650-25-750 रु०	कुछ नहीं	शत प्रतिशत	कुछ नहीं

8	9	10	11	12	13
कुछ नहीं	लागू नहीं होना	लागू नहीं होता	दो वर्ष	लागू नहीं होता	प्रोन्नति : फिल्म सैंसर बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले ऐसे आशुलिपिकों में से चयन द्वारा जिन्होंने 425-700 रु० के वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो।

(II). क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ सं० 2 के नीचे की प्रविष्टि में, 'जिसमें अध्यक्ष का निजी सहायक भी सम्मिलित है' शब्दों का लोप किया जाएगा।

(III) चौकीदार से संबंधित क्रम सं० 8 के सामने स्तम्भ सं० 3 के नीचे की प्रविष्टि में, 'अनुसचिवीय' शब्द के स्थान पर 'अनुसचिवीय' शब्द रखा जाएगा।

(सं० फा० 2/27/75-एफ सी)
एस. घोष, उप सचिव

New Delhi, the 26th May, 1976

G.S.R. 838 :— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Board of Film Censors (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1962, namely :—

1. (i) These rules may be called the Board of Film Censors (Recruitment to Class III and Class IV posts) Amendment Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (a) In the Board of Film Censors (Recruitment to Class III and Class IV Posts) Rules, 1962, for the existing rule, 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Disqualifications :—

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post referred to in Column 2 of the aforesaid Schedule :

Provided that Central Government may, if stisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

(b) In the Schedule to the Board of Film Censors (Recruitment to Class III and Class IV Posts) Rules, 1962—

(i) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Particulars of the post		Scale of pay of the post	Method of recruitment and percentage of vacancies to be filled by			
	Name of the post	Classification, character and status of the post		Direct Recruitment	Promotion Selection	Seniority cum fitness	Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	A Personal Assistant to Chairman	General Central Service Group C, Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 550-20-650-25-750	Nil	100%	Nil	Nil

Qualifications for direct recruitment		Period of probation/ trial, if any	Qualifications etc. for recruitment by promotion/transfer	
Age limit	Educational and other qualifications required		Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in the case of recruitment by promotion/transfer	Grades/Sources from which promotion/transfer is to be made
9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	Two years	Not applicable	Promotion : by selection from amongst the Stenographers with 3 years regular service in the scale of Rs. 425-700 working in the office of the Board of Film Censors.

(ii) in the entry under Column No. 2 against Serial No. 5, the words "including PA to Chairman" shall be omitted.

(iii) in the entry under Column No. 3 against Serial No. 8 relating to Chowkidar, for the word "Ministerial" the word "Non-Ministerial" shall be substituted.

[F. No. 2/27/75-FC]
S. GHOSE, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 839.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) में सहायक रखवाल के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) सहायक रखवाल भर्ती (पुनरीक्षित) नियम 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :–उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें :–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हताएं :–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :––जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेख-बद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :––इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक रखवाल	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय	330-10-380-द० रो० -12-500-द० रो०-15-560 रु०	चयन पद	लागू नहीं होना	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	नियमित स्थापन के निर्माण सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की है । आवश्यक अर्हता के रूप में मैट्रिक और स्वच्छता विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए और वांछनीय अर्हता के रूप में अग्नि परिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।	वर्ग ० 3 वि० प्रो० स०	लागू नही होता

एस० एन० राय चौधुरी, अवर सचिव,

[संख्या फा० 24/5/74-एम० एस० 2

उपाबन्ध III

गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्थापनाएं भेजते समय और अनुमोदित भर्ती नियम को संशोधन करते समय मंत्रालय विभाग द्वारा भरा जाने वाला प्ररूप

1. (क) पद का नाम : सहायक रखवाल

(ख) मंत्रालय/विभाग का नाम : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

2. निर्देश संख्या जिसके अन्तर्गत भर्ती नियमों की बाबत गृह मंत्रालय की सलाह सम्प्रेषित की गई थी। अशा० सं० 594/68-स्था० (डी) तारीख 8-10-1968

स्तंभ संख्या	अनुमोदित नियमों में उपबंध	स्तंभ संख्या	पुनरीक्षित उपबन्ध जो प्रस्थापित है	प्रस्थापित पुनरीक्षण के कारण
1	2	3	4	5
4.	150-10-300 रु०	(4)	330-10-380 रु० रो०-12-500-द० रो०-15-560-रु०	टिप्पण के अनुसार जो पृथक्तः संलग्न है।
6.	19-25 वर्ष	(6)	लागू नहीं होना।	
7.	(i) मैट्रिकुलेशन, साथ ही स्वच्छता विज्ञान में डिप्लोमा (ii) उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर या अन्य ऐसी ही संस्थाओं से अग्नि संरक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।	(7)	लागू नहीं होना।	
8.	नहीं	(8)	लागू नहीं होना।	
10.	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(10)	प्रोन्नति द्वारा।	
11.	प्रोन्नति : नियमित स्थापन पर के ऐसे सफाई निरीक्षक और निर्माण सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो। पश्चात्वर्ती के पास आवश्यक अर्हता के रूप में मैट्रिकुलेशन तथा वांछनीय अर्हताओं के रूप में स्वच्छता विज्ञान में डिप्लोमा और अग्नि संरक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिए।	(11)	नियमित स्थापन पर के निर्माण सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो। आवश्यक अर्हता के रूप में मैट्रिकुलेशन तथा वांछनीय अर्हताओं के रूप में स्वच्छता विज्ञान में डिप्लोमा और अग्नि संरक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिए। टिप्पण	

तृतीय वेतन आयोग ने विभिन्न विभागों में रखवाल के लिए अनेक वेतनमानों (21 वेतनमानों) को विद्यमानता के प्रश्न पर विचार किया था और अर्हताओं पर आधारित छह वेतनमानों में उनके युक्तिकरण की सिफारिश की थी। आयोग ने 150-300 रु० के वेतनमान के वर्तमान रखवाल के लिए 330-560 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश की है जिसमें यह अनुबंध किया गया है कि भविष्य में सीधी भर्ती की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने 150-380 रुपये के वेतनमान के रखवाल के लिए भी 380-640 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश की है जिसमें यह अनुबंध किया गया है कि भविष्य में, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता मैट्रिक होना चाहिए जिसके साथ स्वच्छता विज्ञान या खानपान प्रबन्ध में डिप्लोमा हो, तथा चार वर्ष का अनुभव हो।

वर्तमान भर्ती नियमों में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक रखवाल उस द्वितीय प्रवर्ग में सम्मिलित नहीं है जो कि रखवाल के पद पर 380-640 रु० (पुनरीक्षित) के वेतनमान में प्रोन्नति के पात्र है। सहायक रखवाल और रखवाल दोनों के लिए सीधी भर्ती के लिए अर्हतायें एक ही हैं तथा वे ही प्रवर्ग अर्थात् स्वच्छता निरीक्षक निर्माण सहायक, दोनों ही पदों के लिए पात्र हैं। निर्माण सहायक और स्वच्छता निरीक्षक के 110-200 रु० और 150-240 रु० के वर्तमान वेतनमानों को पुनरीक्षित करके क्रमशः 260-430 रु० और 330-560 रु० कर दिया गया है। इस प्रकार, स्वच्छता निरीक्षक और सहायक रखवाल दोनों का पुनरीक्षित वेतन मान एक हो, अर्थात् 330-560 रु० है। तृतीय वेतन आयोग की पूर्वोक्त सिफारिशों के दृष्टि में रखते हुए तथा इन पदों के लिए नियत पुनरीक्षित वेतनमानों को मुकाबले विभाग में रखवाल और सहायक रखवाल के लिए भर्ती नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाने की प्रस्थापना है।

[सं० फा 24/5/74-एम० एस० 2]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 9th December, 1975

G.S.R. 839.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Caretaker in the Central Public Works Department (Subordinate offices) namely:—

1. Short title: (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate offices) Assistant Caretaker Recruitment (Revised) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the post as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay: The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.: The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification: No person—

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(2) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax: Where Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving: Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ANNEXURE I

Recruitment Rules for Assistant Caretaker

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Caretaker	1	GCS Class III Non-Ministerial/ Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Selection post	N.A.	N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion / deputation / transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
N.A.	Two years	By promotion	Work Assistants on the regular Estt. with at least 5 years' service in the grade. Must have matriculation as essential qualification and Diploma in sanitation and training in Fire protection as desirable qualification.	Class III D.P.C.	N.A.

ANNEXURE III

Form to be filled by the Ministry/Department while forwarding proposals to the Ministry of Home Affairs and the Union Public Service Commission and amending approved Recruitment Rules.

1. (a) Name of the Post Assistant Caretaker.
(b) Name of the Ministry/Department, C.P.W.D.

2. Reference number in which Ministry of Home affairs U.O. No. 594/68-Estt.(D) dated 8-10-68 advice on recruitment rules was conveyed.

3.

Col. No.	Provision in the approved rules	Col. No.	Revised provision proposed	Reasons for the revision proposed
1	2	3	4	5
4.	Rs. 150-10-300	4.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	As per Note attached separately.
6.	19-25 years	6.	Not applicable.	
7.	(i) Matriculation with diploma in Sanitation. (ii) Preference will be given to candidates who have undergone training in Fire Protection from National Fire Service College, Nagpur or other similar Institutions.	7.	Not applicable.	
8.	No.	8.	Not applicable.	
10.	By promotion failing which by direct recruitment.	10.	By promotion.	
11.	Promotion: Sanitary Inspectors & Work Assistant on the regular Estt. with at least 5 years service in the grade. The latter must have matriculation as	11.	Work Assistants on the regular Estt. with at least 5 years service in the grade. Must have matri-	

essential qualification and diploma in sanitation and training in Fire Projection & desirable qualifications.	culation as essential qualification and diploma in sanitation and training in Fire Protection as desirable qualifications.

NOTE

The Third Pay Commission had gone into the question of existence of multiple scales (21 scales) for Caretakers of different Departments and recommended rationalisation of the same into a six scales of pay based on qualifications. They have recommended the revised scale of Rs. 330-560 for the existing Caretakers in the scale of Rs. 150-300 which stipulates that there is no need for direct recruitment in future. They have also recommended the revised scale of Rs. 380-640 for Caretakers in the scale of Rs. 150-380 which stipulates that in future qualifications for direct recruits should be Matriculate with Diploma in Sanitation or Catering and Four years experience.

In the existing Recruitment Rules Assistant Caretakers in the Central P.W.D. are not included among 2nd category eligible for promotion in the pay scale of Rs. 380-640 (revised) to the post of Caretakers. The qualifications for direct recruitment are the same both for Assistant Caretaker and Caretaker and the same categories namely Sanitary Inspectors and Work Assistant are eligible for both the posts. The existing scale of Rs. 110-200 and Rs. 150-240 of Work Assistant and Sanitary Inspector have been revised to Rs. 260-430 and Rs. 330-560 respectively. Thus the revised scale of pay both for Sanitary Inspector and Assistant Caretaker is the same viz. Rs. 330-560. The following changes are proposed to be made in the recruitment rules for Caretakers and Assistant Caretaker in the Department keeping in view the aforesaid recommendations of 3rd Pay Commission and vis-a-vis the revised scales of pay fixed for these posts.

[No. F. 24/5/74-MS II]
S. N. ROY CHOWDHURY, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 मई, 1976

प्ररूप

सा०का०नि० 840.—

मूल भर्ती नियम	भर्ती नियम जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में सा०का०नि० संख्या 558 के अन्तर्गत प्रकाशित हुए।
(1) पृष्ठ संख्या 1063 अनुसूची—खाना 2 'यदि' शब्द मूल नियमों में नहीं है।	'यदि' शब्द मुद्रण त्रुटि से छप गया है।
(2) पृष्ठ संख्या 1064 पंक्ति सोलहवीं विश्लेषण/सांख्यकीय/सक्रिया	'साख्यकीय' के स्थान पर 'साख्यीय' शब्द छपा है।
(3) पृष्ठ संख्या-1064 अनुसंधान सहायक की सूची के ग्यारहवें खाने की सातवीं पंक्ति- 'उपाधि या समतुल्य हो।'	'उपाधि का समतुल्य हो।'

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th May, 1976

ANNEXURE

G.S.R. 840.—

Recruitment Rules as in the original	R/Rules as published in the Gazette of India dated the 17th April, 1976 under G.S.R. 558
1	2
4. *Page No.* 1065 *IInd line of the English version* Method of recruitment to the posts of Junior *Analyst* (Class II Gazetted).	Method of recruitment to the posts of Junior *Analysts*.
5. *Page No.* 1066, *line No.* 40 *below Col. II* on a year to '*year* basis.	On a year to *your* basis.
6. Page No. 1067, IInd para relating to the R/Rules for the post of Research Assistant. A minimum of 5 *years'*	a minimum of 5 years'
7. Page No. 1067, line No. 9 or equivalent training in *any*	The word '*any*' is missing

[No. 27/2/66-Adm. I]
G. R. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 1976

सा० का० नि० 841:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1973 में

(क) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।"

(ख) अनुसूची में —

(i) स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"650-30-740-35-810द०रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200-रू० 1"

(ii) स्तम्भ 10 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा

(iii) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (i) केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन पुलिस उपअधीक्षक या ऐसे पुलिस निरीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो।

(ii) कैप्टन की पंक्ति के या लेफ्टिनेन्ट की पंक्ति के ऐसे रक्षा सेवा अधिकारी, जिन्होंने सेना में 4 वर्ष सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

पुनर्नियोजन

सेना में कैप्टन की पंक्ति के सेवानिवृत्ति रक्षा सेवा अधिकारी (पुनर्नियोजन सिविल पदों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु तक होगी)"

[फा० सं० ए-12018/2/70-पी आई/मुद्रण]
बी० एन० मुखर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 1976

G.S.R. 841.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Printing and Stationary Department (Security Officer) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Printing and Stationery Department (Security Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Printing and Stationery Department (Security Officer) Recruitment Rules, 1973—

(a) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

"7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.";

(b) in the Schedule—

(i) for the entry in column 4, the following entry shall be substituted, namely :—
"Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.";

(ii) for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely :—
"By transfer on deputation failing which by re-employment."

(iii) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—
"Transfer on deputation.—(i) Deputy Superintendents of Police or Inspectors of Police with at last 5 years' service in the grade under the Central/or State Governments. (ii) Defence Service Officers of the rank of Captain or of the rank of Lieutenant with 4 years' service in the Army. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).

Re-employment

Retired Defence Service Officer of the rank of Captain in the Army. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to Civil posts.)"

[F. No. A-12018/2/70-PI/Ptg.]
B. N. MUKHARJEE, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 मई, 1976

सा० का० नि० 842.—सरकारी राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 में पृष्ठ 1168 पर प्रकाशित की गई भारत सरकार संचार मंत्रालय (डाक-तार बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 510 तारीख 19-4-1975 के नियम 2 में इन शब्दों "बदली या प्रतिनियुक्ति" के स्थान पर ये शब्द "प्रतिनियुक्ति पर बदली" पढ़े जाएं।

[सं० 4-10/74-टी एफ]
ई० जी० एस० सत्यमूर्ति, सहायक महानिदेशक (टी एफ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st May, 1976

G.S.R. 842.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (P. & T. Board) No. G.S.R. 510, dated the 6-2-1975 published in the Gazette of India, part II, Section 3, Sub Section (1) dated the 19th April, 1975 at page 1168, in rule 2, for "transfer or deputation", read "transfer on deputation".

[No. 4-10/74-TF]
E.G.S. SATHYAMOORTHY, Assistant Director General (T.F.)

नई दिल्ली, 25 मई, 1976

सा० का० नि० 843.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1976 है।

(ii) ये 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम 1951 के नियम 162 में, उपनियम (1) में, "पैंतालीस दिन" शब्दों के लिए "तीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[35-47/75-टी-2]
राम पद बैनर्जी, सहायक महानिदेशक (तार)

New Delhi, the 25th May, 1976

G.S.R. 843.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the 1st day of July, 1976.

2. In rule 162 of the Indian Telegraph Rules, 1951, in sub-rule (i), for the words "forty-five days", the words "thirty days" shall be substituted.

[No. 35-47/75/T-2]
R. P. BANERJEE, Assistant Director General (Tar)

नई दिल्ली, 27 मई, 1976

सा०का० नि० 844.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश संचार सेवा (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विदेश संचार सेवा (वर्ग 4 पद) भर्ती संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश संचार सेवा (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में 'चपरासी' के पद से संबंधित मद 6 के सामने—

(1) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"196-3-220-द०रो०-3-232 रु०"

(2) स्तम्भ 10 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा"

(3) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"ऐसे झाड़कणों, चौकीदारों, मालियों और मजदूरों में से स्थानान्तरण द्वारा, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और जो साक्षर हो और जो सरल लिखित परीक्षा के आधार पर हिन्दी पढ़ने की योग्यता साबित कर दें।

[सं० ए 12018/4/75-ओ० सी०]
नूतन देव, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 1976

G.S.R. 844.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Overseas Communications Service (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Overseas Communications Service (Class IV Posts) Recruitment Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Overseas Communications Service (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1965, against item 6 relating to the post of "Peons"—

(i) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"Rs. 196—3—220—EB—3—232";

(ii) in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"25% by transfer and 75 by direct recruitment";

(iii) in column 11, for tthe entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"By transfer from Sweepers, Chowkidars, Gardners or Mazdoors who have put in a minimum of five years service in the respective grade and who possess elementary literacy and give proof of ability to read in Hindi on the basis of a simple written test".

[No. A. 12018/4/75-OC]
NUTAN DEVA, Under Secy.

श्रम मन्त्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

सा० का० नि० 845.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी० एफ० 15(5)/48, तारीख 11 दिसम्बर, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इस स्कीम का नाम कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2 कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में पैरा 65क के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"65 क उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के शेयर खरीदने के लिए निधि से अधिदाय (1) कोई सदस्य आयुक्त को या आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए निधि में उसके खाते में ब्याज सहित उसके अभिदाय के रूप में जमा रकम में से उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी के जिसका वह सदस्य बनना चाहता है शेयर खरीदने के लिए निम्नलिखित दो राशियां—

(1) जो कुल मिलाकर अंतिम पूर्ण मुद्रा अवधि के अन्त में निधि में उसके खाते में जमा ब्याज सहित उसके अभिदायों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(2) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की राशि और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की एक और रकम, यथास्थिति खण्ड I या खण्ड (II) में विनिर्दिष्ट राशियों में से जो भी कम हो, विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है :

परन्तु ऐसा विप्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आयुक्त का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यथास्थिति, ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का लक्ष्य कम से कम दो सौ पचास सदस्य बनाने का है।

(2) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया गया हो उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, अपना यह समाधान हो जाने पर कि प्राधिकरण विहित रीति में हुआ है और प्राधिकृत राशि उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है उक्त राशि को सम्बद्ध उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित करेगा और ऐसा विप्रेषण इस प्रकार विप्रेषित राशि तक सदस्य के प्रतिनिधि के दायित्वों को पूर्णतः मुक्त कर देगा।

(3) इस पैरा के अधीन किसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में किसी राशि का विप्रेषण केवल क्रास लेखा संदायी चेक के द्वारा ही किया जाएगा।

(4) इस पैरा के अधीन यथा स्थिति, उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित कोई राशि अवसूचिया अधिदाय होगा।

(5) इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी की बाबत एक अधिदाय और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी की बाबत एक अन्य अधिदाय से अधिक नहीं अनुज्ञात किया जाएगा।

(6) ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी जिसे इस पैरा के अधीन कोई राशि विप्रेषित की जाती है, आयुक्त को निम्नलिखित सूचना देगा--

(1) सदस्यों को आबंटित शेयरों की ऐसी विशिष्टियां जिनकी ओर से निधि में से अग्रिदाय किए गए हैं जो आयुक्त द्वारा मंगाए जाएं ।

(2) निधि में के अग्रिदाय के सदस्यों को आबंटित शेयरों की बाबत ऐसे विक्रय, हस्तान्तरण या अन्य कारबार के विवरण जो निधि के सदस्यों को प्रारंभिक आबंटन के पश्चात् किए गए हों, जो आयुक्त द्वारा मंगाए जाएं ।

(7) इस पैरा में "उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी" और "सहकारी क्रेडिट/सोसाइटी" पदों से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बद्ध किसी अन्य विधि के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली यथास्थिति, कोई उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी और इसके अन्तर्गत ऐसी रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियां भी हैं जो उपभोक्ता भंडार चलाती हैं या अन्य कार्यों के अतिरिक्त उधार प्रसुविधाएं प्रदान करती हैं ।"

[सं० आर० 11011(6)/75-पी०एफ० (i)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th May, 1976

G.S.R. 845.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. PF 15(5)/48 dated the 11th December, 1948, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Coal Mines Provident Fund Scheme, for paragraph 65A, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"65A. Advance from the Fund for the purchase of shares of consumers' Co-operative societies and co-operative credit socicties-(1) A member may authorise the Commissioner or any officer subordinate to the Commissioner as may be authorised by him in this behalf, in such manner and in such form as may be prescribed by Commissioner to remit, out of the amount standing to this credit in the Fund as his own contribution with interest thereon, to a consumers' Co-operaive Society or a Co-operative Credit Society, of which he intends to become a member, for the purchase of shares in such societies, two sums,—

(i) not exceeding, in total, fifty percent of his own contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund as at the end of the last completed period of currency, or

(ii) a sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Consumers' Co-operative Society and another sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Co-operative Credit Society Whichever of the amount specified in clause (i) or, as the case may be, in clause (ii) is less; Provided that no such remittance shall be made unless the Commissioner is satisfied that such Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, the co-operative Credit Society aims at a minimum membership of two hundred and fifty persons.

(2) The Commissioner or ,where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him on being satisfied that the authorisation has been made in the prescribed manner and the sum authorised is within the limits specified in sub-paragraph (1) shall remit the said sum to the Consumers Co-operative Society or the Co-operative Credit Society concerned and such remittance shall give a full discharge of the liability of fund towards the member to the extent of the amount so remitted.

(3) The remittance of any amount under this paragraph to any Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society shall be made by crossed account payee cheque only.

(4) The amount remitted to a Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, to a Co-operative Credit Society under this paragraph shall be a non-coverable advance.

(5) Not more than one advance in respect or a Consumers' Co-operative Society and another advance in respect of a Co-operative Credit Society shall be allowed to a member under this paragraph.

(6) Any Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society to which an amount is remitted under this paragraph shall intimate to the Commissioner,—

(i) such particulars of the shares allotted to the members on whose behalf advances are made from the Fund, as may be called for by the Commissioner

(ii) such details of sale, transfer and other transactions pertaining to the shares allotted to the members out of advances from the Fund taking place subsequent to their initial allotment to the members of the Fund as may be called by the Commissioner.

(7) In this paragraph the expressions 'Consumers' Co-operative Society' and 'Co-operative Credit Society' mean respectively a Consumers' Co-operative Society or a Co-operative credit Society registered as such or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies and includes registered or deemed to be registered multipurpose co-operative societies running consumers' stores or providing credit facilities in addition to other functions."

[No. R-11011(6)/75-PF. I(i)]

सा०का०नि० 846.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि०आ० 657 तारीख 12 मार्च, 1956 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम का नाम आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में पैरा 43क के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"43क उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के शेयर खरीदने के लिए निधि से अग्रिदाय (1) कोई सदस्य आयुक्त को या आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो

उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए निधि में उसके खाते में ब्याज सहित उसके अभिदाय के रूप में जमा रकम में से उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में ऐसे सोसाइटी जिसका वह सदस्य बनना चाहता है शेयर खरीदने के लिए निम्नलिखित दो राशियां:

(i) जो कुल मिलाकर अंतिम पूर्ण-मुद्रा अवधि के अन्त में निधि में उसके खाते में जमा ब्याज सहित उसके अभिदायों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(ii) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की राशि और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की एक और रकम यथास्थिति खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट राशियों में से जो भी कम हो, विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है :

परन्तु ऐसा विप्रेक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आयुक्त का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यथास्थिति ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का लक्ष्य कम से कम दो सौ पचास सदस्य बनाने का है ।

(2) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृतकिया गया हो उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, अपना यह समाधान हो जाने पर कि प्राधिकरण विहित रीति में हुआ है और प्राधिकृत राशी उप-पैरा (i) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है उक्त राशि को संबंध उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेक्षित करेगा और ऐसा विप्रेषण इस प्रकार विप्रेषित राशि तक सदस्य के प्रतिनिधि के दायित्वों को पूर्णतः मुक्त कर देगा ।

(3) इस पैरा के अधीन किसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में किसी राशि का विप्रेषण केवल क्रास लेखा संदायी चैक के द्वारा ही किया जाएगा ।

(4) इस पैरा के अधीन यथास्थिति, उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित कोई राशि अवधूलनीय अधिदाय होगा ।

(5) इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी की बाबत एक अधिदाय और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी की बाबात एक अन्य अधिदाय से अधिक नही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(6) ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी जिसे इस पैरा के अधीन कोई राशि विप्रेषित की जाती है, आयुक्त को निम्नलिखित सूचना देगा—

(1) सदस्यों को आवंटित शेयरों की ऐसी विशिष्टियां जिनकी ओर से निधि में से अधिदाय किए गए हैं जो आयुक्त द्वारा मगाएं जाएं ।

(2) निधि में के अधिदाय से सदस्यों को आवंटित शेयरों की बाबत ऐसे विक्रय, हस्तान्तरण या अन्य कारबार के विवरण जो निधि के सदस्यों को प्रारंभिक आवंटन के पश्चात किए गए हों, जो आयुक्त द्वारा मंगाएं जाए ।

(7) इस पैरा में "उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी" और "सहकारी क्रेडिट सोसाइटी" पदों से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बद्ध किसी अन्य विधि के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली यथास्थिति, कोई उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी और इसके अन्तर्गत ऐसी रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियां भी हैं जो उपभोक्ता भंडार चलाती है या अन्य कार्यों के अतिरिक्त उधार प्रसुविधाएं प्रदान करती हैं

[सं० आर० 11011(6)/75-पी० एफ०1(2)]

G.S.R. 846.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with the section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of Government of India, in the Ministry of Labour Number SRO 657 dated the 12th March, 1956, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, for paragraph 43A, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"43A. Advance from the Fund for the purchase of shares of consumers' Co-operative societies and co-operative credit societies. (1) A member may authorise the Commissioner or any officer subordinate to the Commissioner as may be authorised, by him in this behalf in such manner and in such form as may be prescribed by Commissioner to remit, out of the amount standing to his credit in the Fund as his own contribution with interest thereon, to a Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society, of which he intends to become a member, for the purchase of shares in such societies two sums,—

(i) not exceeding, in total, fifty percent of his contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund as at the end of the last completed period of currency, or

(ii) a sum of rupees on hundred for the purchase of shares in a Consumers' Co-operative Society and another sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Co-operative Credit Society.

Whichever of the amount specified in clause (i) or as the case may be in cause (ii) is less; Provided that no such remittance shall be made unless the Commissioner is satisfied that such Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, the Co-operative Credit Society aims at a minimum membership of two hundred and fifty persons.

2. The Commissioner or, where so authorised by the Commission, may any officer subordinate to him on being satisfied that the authorisation has been made in the prescribed manner and the sum authorised is with in the limits specified in sub-paragraph (1) shall remit the said sum to the Consumers Co-operative Society or the Co-operative Credit Society concerned and such remittance shall give a full discharge of the liability of Fund towards the member to the extent of the amount so remitted.

3. The remittance of any amount under this paragraph to any Consumers Co-operative Society or Co-operative Credit Society shall be made by crossed account payee cheque only.

4. The amount remitted to a Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, to a Co-operative Credit Society under this paragraph shall be non-recoverable advance.

5. Not more than one advance in respect of a Consumers' Co-operative Society and another advance in respect of a Co-operative Credit Society shall be allowed to a member under this paragraph.

6. Any Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society to which an amount is remitted under this paragraph shall intimate to the Commissioner :—

(i) Such particulars of the shares allotted to the members on whose behalf advances are made from the Fund, as may be called for by the Commissioner.

(ii) Such details of sale, transfer and other transactions pertaining to the shares allotted to the members out of advances from the Fund taking place subsequent to their initial allotment to the members of the Fund as may be called by the Commissioner.

7. In this paragraph the expressions 'Consumers' Co-operative Society and 'Co-operative Credit Society' mean respectively a Consumers' Coperative Society or a Co-operative Credit Society registered as such or deemed to be registred under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies and includes registered or deemed to be registered multipurpose co-operative societies running consumers stores or providing credit facilities in addition to the other functions."

[No. R-11011(6)/75-PF. I (ii)]

सा०का०नि० 847.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 32 तारीख 11 फरवरी, 1958 के साथ प्रकाशित राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इस स्कीम का नाम राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में पैरा 42क के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :—

"42क उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के शेयर खरीदने के लिए निधि से अधिदाय (1) कोई सदस्य आयुक्त को या आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए निधि में उसके खाते में ब्याज सहित उसके अभिदाय के रूप में जमा रकम में से उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में जिसका वह सदस्य बनना चाहता है शेयर खरीदने के लिए निम्नलिखित दो राशियां:—

(1) जो कुल मिलाकर अंतिम पूर्ण मुद्रा अवधि के अन्त में निधि में उसके खाते में जमा ब्याज सहित उसके अभिदायों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(2) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की राशि और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की एक और रकम, यथास्थिति खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट राशियों से में जो भी कम हो, विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है :

परन्तु ऐसा विप्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आयुक्त का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यथास्थिति ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का लक्ष्य कम से कम दो सौ पचास सदस्य बनाने का है।

(2) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया गया हो उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, अपना यह समाधान हो जाने पर कि प्राधिकरण विहित रीति में हुआ है और प्राधिकृत राशि उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। उक्त राशि को सम्बद्ध उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित करेगा और ऐसा विप्रेषण इस प्रकार विप्रेषित राशि तक सदस्य के प्रतिनिधि के दायित्वों को पूर्णतः मुक्त कर देगा।

(3) इस पैरा के अधीन किसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में किसी राशि का विप्रेषण केवल क्रास लेखा संदायी चेक के द्वारा ही किया जाएगा।

(4) इस पैरा के अधीन यथास्थिति, उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित कोई राशि अवसूलनीय अधिदाय होगा।

(5) इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी की बाबत एक अधिदाय और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी की बाबत एक अन्य अधिदाय से अधिक नहीं अनुज्ञात किया जाएगा;

(6) ऐसा उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी जिसे इस पैरा के अधीन कोई राशि विप्रेषित की जाती है, आयुक्त को निम्नलिखित सूचना देगा:—

(1) सदस्यों को आबंटित शेयरों की ऐसी विशिष्टियां जिनकी ओर से निधि में से अधिदाय किए गए हैं जो आयुक्त द्वारा मंगाए जाएं।

(2) निधि में के अधिदाय से सदस्यों को आबंटित शेयरों की बाबत ऐसे विक्रय, हस्तान्तरण या अन्य कारबार के विवरण जो निधि के सदस्यों को प्रारंभिक आबंटन के पश्चात् किए गए हों, जो आयुक्त द्वारा मंगाए जाए।

(7) इस पैरा में "उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी" और "सहकारी क्रेडिट सोसाइटी" पदों से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवर्त सहकारी सोसाइटी से सम्बद्ध किसी अन्य विधि के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली यथास्थिति, कोई उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी और इसके अन्तर्गत ऐसी रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियां भी हैं जो उपभोक्ता भंडार चलाती हैं, या अन्य कार्यों के अतिरिक्त उधार प्रसुविधाएं प्रदान करती हैं।"

[सं० आर०11011(6)/75-पी० एफ० I (iii)]

G.S.R. 847.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of Government of India in the Late Ministry of Labour and Employment number S.O. 32 dated the 11th February, 1958, namely :—

(1) This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, for paragraph 42A, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"42A. Advance from the Fund for the purchase of shares of consumers' co-operative societies and co-operative credit societies-(1) A member may authorise the Commissioner or any officer subordinate to the Commissioner as may be authorised by him in this behalf in such manner and in such form as may be prescribed by commissioner to remit. out of the amount standing to his credit in the Fund as his own contribution with interest thereon, to a Consumers' Co-operative Society or a Co-operative Credit Society, of which he intends to become a member, for the purchase of shares in such societies two sums,—

(i) Not exceeding, in total, fifty percent of his own contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund as at the end of the last completed period of currency, or.

(ii) a sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Consumers' Co-operative Society and another sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Co-operative Credit Society.

Whichever of the amount specified in clause (i) or, as the case may be, in clause (ii) is less; provided that no such remittance shall be made unless the Commissioner is satisfied that such Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, the Co-operative Credit Society aims at a minimum membership of two hundred and fifty persons.

(2) The Commissioner or, where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him on being satisfied that the authorisation has been made in the prescribed manner and the sum authorised is within the limits specified in sub-paragraph (1) shall remit the said sum to the Consumers Co-operative Society or the Co-operative Credit Society concerned and such remittance shall give a full discharge of the liability of Fund towards the member to the extent of the amount so remitted.

(3) The remittance of any amount under this paragraph to any Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society shall be made by crossed account payee cheque only.

(4) The amount remitted to a Consumers' Co-operative Society or as the case may be, to a Co-operative credit Society under this paragraph shall be a non-recoverable advance.

(5) Not more than one advance in respect of a Consumer's Co-operative Society and another advance in respect of a Co-operative Credit Society shall be allowed to a member under this paragraph.

(6) Any Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society to which an amount is remitted under this paragraph shall intimate to the Commissioner :—

(i) Such particulars of the shares allotted to the members on whose behalf advances are made from the Fund, as may be called for by the Commissioner.

(ii) Such details of sale transfer and other transactions pertaining to the shares allotted to the members out of advances from the Fund taking place subsequent to their initial allotment to the members of the Fund as may be called by the Commissioner.

(7) In this paragraph the expressions 'Consumers' Co-operative Society' and Co-operative Credit Society' mean respectively a Consumers' Co-operative Society of a Co-operative Credit Society registered as such or deemed to be registered under the Co-operative societies Act 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies and included registered or deemed to be registered multipurpose co-operative societies running consumers' stores or providing credit facilities in addition to other functions."

[No. R. 11011(6)/75-PF.I (iii)]

सा० का० नि० 848.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं पी० एफ० 1771 तारीख 14 नवम्बर, 1966 के साथ प्रकाशित नैवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इस स्कीम का नाम नैवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में पैरा 52 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"52 उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के शेयर खरीदने के लिए निधि से अग्रिदाय (1) कोई सदस्य आयुक्त को या आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए निधि में उसके खाते में ब्याज सहित उसके अग्रिदाय के रूप में जमा रकम में से उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में ऐसे सोसाइटी के जिसका वह सदस्य बनना चाहता है शेयर खरीदने के लिए निम्नलिखित दो राशियां—

(1) जो कुल मिलाकर अंतिम पूर्ण भुद्रा अवधि के अन्त में निधि में उसके खाते में जमा ब्याज सहित उसके अग्रिदायों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(2) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की राशि और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए सौ रुपए की एक और रकम, यथास्थिति खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट राशियों में से जो भी कम हो, विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है :

परन्तु ऐसा विप्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा । जब तक आयुक्त का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यथास्थिति ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का लक्ष्य कम से कम दो सौ पचास सदस्य बनाने का है ।

(2) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया गया हो उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, अपना यह समाधान हो जाने पर कि प्राधिकरण विहित रीति में हुआ है और प्राधिकृत राशि उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है । उक्त राशि को सम्बद्ध उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित करेगा और ऐसा विप्रेषण इस प्रकार विप्रेषित राशि तक सदस्य के प्रतिनिधि के दायित्वों को पूर्णतः मुक्त कर देगा ।

(3) इस पैरा के अधीन किसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में किसी राशि का विप्रेषण केवल क्रास लेखा संदायी चैक के द्वारा ही किया जाएगा ।

(4) इस पैरा के अधीन यथास्थिति, उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को विप्रेषित कोई राशि अवसूलीय अग्रिदाय होगा ।

(5) इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी की बाबत एक अभिदाय और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी की एक अन्य अभिदाय से अधिक नहीं अनुज्ञात किया जाएगा।

(6) ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी जिसे इस पैरा के अधीन कोई राशि विप्रेषित की जाती है, आयुक्त को निम्नलिखित सूचना देगा—

(1) सदस्यों को आबंटित शेयरों की ऐसी विशिष्टियां जिनकी और निधि में से अभिदाय किए गए हैं जो आयुक्त द्वारा मंगाए जाएं।

(2) निधि में के अभिदाय से सदस्यों को आबंटित शेयरों की बाबत ऐसे विक्रय, हस्तान्तरण या अन्य कारबार के विवरण जो निधि के सदस्यों को प्रारंभिक आबंटन के पश्चात् किए गए हों, जो आयुक्त द्वारा मंगाए जाएं।

(7) इस पैरा में "उपभोक्ता सोसाइटी और "सहकारी क्रेडिट सोसाइटी" पदों से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बद्ध किसी अन्य विधि के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली यथास्थिति, कोई उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या सहकारी क्रेडिट सोसाइटी और इसके अन्तर्गत ऐसी रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियां भी हैं जो उपभोक्ता भंडार चलाती हैं या अन्य कार्यों के अतिरिक्त उधार प्रसुविधाएं प्रदान करती हैं।

[सं० आर० 11011(6)/75-पी०एफ०1(4)]
एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

G.S.R. 848.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of Government of India in the late Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. GSR 1771 dated the 14th November, 1966, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Neyveli Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, for paragraph 52 the following paragraph shall be substituted, namely :—

"52. Advance from the Fund for the purchase of shares of consumers' co-operative societies and co-operative credit societies (i) A member may authorise the Commissioner or any officer subordinate to the Commissioner as may be authorised by him in this behalf in such manner and in such form as may be prescribed by Commissioner to remit, out of the amount standing to his credit in the Fund as his own contribution with interest thereon, to a Consumers' Co-operative Society or a Co-operative Credit Society, of which he intends to become a member, for the purchase of shares in such societies two sums,—

(i) Not exceeding, in total, fifty percent of his own contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund as at the end of the last completed period of currency, or.

(ii) a sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Consumers' Co-operative Society and another sum of rupees one hundred for the purchase of shares in a Co-operative Credit Society.

whichever of the amount specified in clause (1) or, as the case may be, in clause (ii) is less; provided that no such remittance shall be made unless the Commissioner is satisfied that such Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, the Co-operative Credit Society aims at a minimum membership of two hundred and fifty persons.

(2) The Commissioner or, where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him on being satisfied that the authorisation has been made in the prescribed manner and the sum authorised is within the limits specified in sub-paragraph (1) shall remit the said sum to the Consumers Co-operative Society or the Co-operative Credit Society concerned and such remittance shall give a full discharge of the liability of Fund towards the member to the extent of the amount so remitted.

(3) The remittance of any amount under this paragraph to any consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society shall be made by crossed account payee cheque only.

(4) The amount remitted to a Consumers' Co-operative Society or, as the case may be, to a Co-operative Credit Society under this paragraph shall be a non-recoverable advance.

(5) Not more than one advance in respect of a Consumers' Co-operative Society and another advance in respect of a Co-operative Credit Society shall be allowed to a member under this paragraph.

(6) Any Consumers' Co-operative Society or Co-operative Credit Society to which an amount is remitted under this paragraph shall intimate to the Commissioner,—

(i) such particulars of the shares allotted to the members on whose behalf advances are made from the Fund, as may be called for by the Commissioner.

(ii) such details of sale, transfer and other transactions pertaining to the shares allotted to the members out of advances from the fund taking place subsequent to their initial allotment to the members of the Fund as may be called by the Commissioner.

(7) In this paragraph the expressions Consumers Co-operative Society' and Co-operative Credit Society' mean respectively a consumers' Co-operative Society or a Co-operative Credit Society registered as such or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies and includes registered or deemed to be registered multipurposes co-operative societies running consumers' stores or providing credit facilities in addition to other functions."

[No. R-11011(6)/75-PF. I (IV)]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, 25 मई, 1976

सा० का० नि० 849.—मुख्य खान निरीक्षक, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 2 के खण्ड (23) और विनियम 173 के खण्ड (घ) के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विस्फोटक को, जिसका विनिर्माण उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट फर्म द्वारा किया गया हो, प्रथम श्रेणी के गैसी कोयला खानों में उपयोग के लिए उपयुक्त अनुसात विस्फोटक के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, और उक्त अनुसात विस्फोटक के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अधिकतम भरण भी अधिकथित करता है।

सारणी

विस्फोटक का नाम	फर्म का नाम	अनुसेय अधिकतम भरण
(1)	(2)	(3)
वीकिंग जी (मिश्रण जीई-43)	मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड डाकघर : इंडियन एक्सप्लोसिव्स (गोमिया) पिन कोड सं० - 829112 जिला : गिरिडीह (बिहार)	0.79 किलो ग्राम

[सं० 14(33)73-सामान्य/7785/76]
श्याम शिव प्रसाद, मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Mines Safety)

Dhanbad, the 25th May, 1976

G.S.R. 849.—In pursuance of clause (23) of Regulation 2 and clause (d) of Regulation 173 of the Coal Mines Regulations, 1957 the Chief Inspector of Mines hereby specifies the explosives specified in column (1) of the Table below, manufactured by the firm specified in column (2) of the said Table to be a Permitted Explosive suitable for use in First Degree gassy coal mines and further lays down the permissible maximum charge as specified in column (3) of the said Table for the said Permitted Explosive.

TABLE

Name of the Explosive	Name of the Firm	Permissible maximum Charge
(1)	(2)	(3)
Viking-G (Composition No. GE—43)	Messers Indian Explosives Limited, P.O. Indian Explosives (Gomia) Pin Code No. 829112, Dist. Giridih, Bihar.	0.79 Kg

[No. 14(33)/73-Genl/7785/76]
S. S. PRASAD, Chief Inspector of Mines.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जून, 1976

सा० का० नि० 850.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 में, नियम 67 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"67क.- प्रभारों का संदाय :—पब्लिक सेक्टर के किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अधीन बल के पर्यवेक्षी अधिकारियों और सदस्यों की ऐसे उपक्रम में प्रतिनियुक्ति के लिये देय प्रभार, ऐसी अवधि के लिये और ऐसी रीति में संदत्त किये जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें ।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनार्थ, पब्लिक सेक्टर के किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा देय प्रभारों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे ।

(i) इस उपक्रम में प्रतिनियुक्त बल के अधिकारियों और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते, छुट्टी वेतन अभिदाय और पेंशन अभिदाय ;

(ii) ऐसे अधिकारियों और सदस्यों के कृत्यों के उचित निर्वहन के लिये आवश्यक वस्त्र, उपस्कर, परिवहन, आयुध और गोला बारूद और अन्य साजसज्जा की लागत; और

(iii) वह रकम जो केन्द्रीय सरकार, उस औद्योगिक उपक्रम में प्रतिनियुक्त बल के अधिकारियों और सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बल के मुख्यालयों और अन्य स्थापनों के रखरखाव के खर्च मद आनुपातिक रकम के रूप में, समय-समय पर अवधारित करें ।

[सं० आर० 11011/1/75-ए०सी०(आर)/सी० आई० एस० एफ०/जी०पी० ए०-1]
चरनजीत सिंह चड्ढा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st June, 1976

G.S.R. 851.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 37, dated the 19th December, 1975 and published in the Gazette of India Part II, Section-3 Sub-Section (i), dated the 10th January, 1976, at page 58,—

in rule 4, line 5, for "which" read "with".

[No. R.IX-6/75-Adm./GPA.I]
S. K. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंककारी विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1976

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

सा० का० नि० 852—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22घ के अन्तर्गत आने वाली, तैयार परिधान के रूप में वस्तुओं को उक्त नियमों के नियम, 174 के प्रवर्तन से तब तक छूट देती है जब तक कि ये वस्तुएं उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं।

[सं० 188/76-सी ई फा० सं० 213/7/76-सी एक्स-6]
कृष्ण कान्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 12th June, 1976

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 852.—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the

public interest so to do, hereby exempts articles of ready-to-wear apparel, falling under Item No. 22D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the operation of rule 174 of the said rules, so long as these articles are exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 188/76-C.E. F. No. 213/7/76-CX.6]
KRISHNA KANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जून, 1976

सा०का०नि० 853.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन) वर्ग 3 और वर्ग 4 पद (भर्ती) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन) वर्ग 3 और वर्ग 4 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निरीक्षण महानिदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन) वर्ग 3 और वर्ग 4 पद (भर्ती) नियम, 1975 से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम संख्या 13 के सामने, स्तम्भ 12 में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि 'वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति', रखी जाएगी।

पूर्वोक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 14 के सामने स्तम्भ 12 में की प्रविष्टि के स्थान, प्रविष्टि 'लागू नहीं होता', रखी जाएगी।

[फा० सं० ए-12018/1/76-प्रशा० VII]
टी० दत्त, उप-सचिव

New Delhi, the 5th June, 1976

G.S.R. 853.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Inspection (Research, Statistics and Publication) Class III and Class IV Posts (Recruitment) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate or Inspection (Research, Statistics and Publication) Class III and Class IV Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Directorate of Inspection (Research, Statistics and Publication) Class III and Class IV Posts (Recruitment) Rules, 1975, for the entry in column 12 against S. No. 13, the entry 'Class III D.P.C.' shall be substituted.

3. In the aforesaid Schedule, for the entry in column 12 against Serial No. 14, the entry 'Not Applicable' shall be substiuted.

[F. No. A-12018/1/76-Ad. VII]
T. DUTT, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 1976

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 854.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 108/74, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 20 जून 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"2. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट केवल उस विनिर्माता को लागू होगी—

(i) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम उर्वरक पूल समानांतरण निधि में जमा करने के लिये विनिर्दिष्ट छूट दी गई हो ; या

(ii) जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उर्वरक को उठाने से पूर्व स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम को उर्वरक पूल समानांतरण निधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार जमा करने के लिये वचनबद्ध होता है और उक्त उर्वरक को उठाने के मास से दो कैलेण्डर मास के या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त यथा-विस्तारित अवधि के भीतर उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में इस बात का यथेष्ठ प्रमाण प्रस्तुत करता है कि रकम उस प्रकार जमा कर दी गई है।"

[सं० 191/76-सी ई/फा० सं० 106/6/75-सी एक्स 3]
एन० राजा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 1976

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 854.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 108/74-Central Excises, dated the 20th June, 1974, namely:—

In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"2. The exemption contained in this notification shall apply only to manufacturer,—

(i) who is specifically exempted in writing by the Central Government from crediting the amount specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table into the Fertiliser Pool Equalisation Fund; or

(ii) who, before clearing the fertiliser specified in column (2) of the said Table, undertakes to credit the amount specified in the corresponding entry in column (3) thereof into the Fertiliser Pool Equalisation Fund in accordance with the directions issued by the Central Government and produces, within two calendar months from the month of clearance of the said fertiliser or within such extended period as the Central Government may permit in this behalf, sufficient proof to the satisfaction of the proper officer that the amount has been so credited."

[No. 191/76-C.E./F. No. 106/6/75-CX. 3]
N. RAJA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 12 जून, 1976

सा० का० नि० 855.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 172/75-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री बी० एल० परिहार में, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी, मुम्बई में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपकलक्टर के रूप में नियुक्त हैं, ऐसे मामलों में, जो उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर उनको सौंपे जाएं, अन्वेषण और न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर की शक्तियां विनिहित करती है ।

[अधिसूचना सं० 190/76-सी० ई०-फा० सं० 279/32/73-सी एक्स 8]

एन० सी० जैन, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 12th June, 1976

G.S.R. 855.—In exercise of he powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 172/75-Central Excises dated the 2nd August, 1975, the Central Board of Excise and Customs hereby invests Shri B. L. Parihar, posted as Deputy Collector of Central Excise, in the Central Excise Collectorate, Bombay, with the powers of a Collector of Central Excise for the purpose of investigation and adjudication of such cases as may, from time time, be assigned to him by the said Central Board of Excise and Customs.

[Notification No. 190/76-C.E.F. No. 279/32/73-CX8]

N. C. JAIN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 1976

सा० का० नि० 856.—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 254 (ई) तारीख 26 मार्च, 1976 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उप-खंड (1) के पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं जिसमें कि उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप/सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 26 मार्च, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है ;

(2) ये 22 मई, 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, नियम 29 में, खंड (छछ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छछ) ऐल्कोहाली पेय (21 मई, 1977 तक की जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, अवधि के लिए)" ।

[सं० पी० 15014/1/76 डी एंड एम एस]

रमेश बहादुर, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 21st May, 1976

G.S.R.856.—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), at pages 889 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. G.S.R. 254 (E), dated the 26th March, 1976, inviting objections/suggestions from the persons likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date on which the copies of the official Gazette in which the said notification was published were made available to the public; and whereas the said Gazette was made available to the Public on the 26th March, 1976;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely;

1. (i) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the 22nd May, 1976.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 in rule 29 for clause (gg), the following clause shall be substituted, namely :—

"(gg) Alcoholic beverages (for the period up to and inclusive of the 21st May, 1977)".

[No. P. 15014/1/76-D&MS]

RAMESH BAHADUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.